

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)

Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265

Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com

CIN No: L74899HR1990PLC030937

July 07, 2021

Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 590018
(Category: Permitted for Trade)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir / Madam

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.


We hereby enclose copies of the Notice to Shareholders published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 06/07/2021.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

Undelivered Demand Notice

NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, READ WITH RULES 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002
 I being an Authorised Officer of the Bank of Baroda, Abu Lane, Meerut Branch has a reason to believe that all of you the under mentioned notice can not be served ordinarily as attempted earlier except this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amount due against each of you, as mentioned below, within 60 days. Thereafter the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/ Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. **Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you.**

Name of the Borrower/ Guarantor	Details of Property	Amount due as per Demand Notice	Date of Demand Notice
M/s Solo Strike Sports Industries Private Limited (Borrower) Regd.off & Factory: Plot Number 175 & 176, Sector-3, Industrial Estate, Shatabdi Nagar, Meerut-250002 Director:- Mr. Devashish Kaushik S/o Mr. Arjun Veer Kaushik (Borrower) Add: R/o B-1013, Palm green Superteck, Hapur Road, Meerut-250004	1. Hypo of stock and book debts 2. Equitable mortgage of property bearing at plot number 175, Sector-3, Industrial Estate, Shatabdi Nagar, Delhi Road, Meerut measuring an area of 300 Sq. Meters standing in the name of Mr. Vishal Sharma S/o Mr. Raj Kumar Sharma bounded as under: East: Bhuja 25 meter - Deewar seller property thereafter property number 174 West: Bhuja 25 meter-Deewar seller property thereafter property number 176 North: Bhuja 12 Meter- Deewar seller property thereafter plot number 159 South: Bhuja 12 Meter- Darwaja and Deewar seller property thereafter 12 meter wide Road	Rs. 68,97,489.01 (Cash Credit O/s 56,77,861 + Term Loan BGECL O/s Rs. 10,99,241.33 + FITL O/s Rs. 120,386.68) incl int of 31.05.2021 + further interest & other misc. expenses w.e.f. 01.06.2021	22.06.2021 Date of NPA 26.05.2021 Date of Return Demand Notice 02.07.2021

You are advised to (1) Collect the original notice / cover addressed to you and returned by the courier / postal authority from the undersigned for more and complete information and (2) To avoid further action under SARFAESI Act Pay the balance amount along with interest, expenses etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Date - 05.07.2021

Place: MEERUT

Authorized Officer

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY)
Phone: 01662-220067, 220367, 220738 Fax: 01662-220265
Email: info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com Web: www.hisarmetal.com
CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016; as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for period of seven consecutive years, to the Demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the manner as prescribed under the Rules.

In compliance with the said Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF Authority. The Company is also uploading on its website www.hisarmetal.com, the details of such shareholders whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority. The Shareholders may please note that the Company shall transfer the concerned shares held by them in physical or demat form to the Demat account of IEPF Authority within a period of 30 days from 24th October 2021 being the due date as prescribed under the said Rules.

The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to the Demat account of IEPF Authority and upon such issue of duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of duplicate share certificate(s) issued by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as prescribed under the said Rules. Further the shareholders holding shares in Demat form and whose shares are liable to be transferred, may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action where the concerned shareholders have their accounts for transfer of such shares to the Demat account of IEPF Authority.

The concerned Shareholders are hereby requested to claim the dividend declared during the Financial Year 2013-14 and onwards and which remains unclaimed or unpaid by making an application to our RTA or Company, failing which their Shares shall be transferred to the IEPF.

The Shareholders may please note that both, the unclaimed dividend amount transferred to IEPF and the shares transferred to the Demat account of IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following procedure prescribed under the said Rules. For any information/clarification on this matter, please write to or contact the Company at vchugh@hisarmetal.com or our RTA SKYLINE FINANCIAL SERVICES PVT LTD at D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, Phone: 011-64732681-88, Email: admin@skylinert.com

For Hisar Metal Industries Limited
Sd/-
(Vishesh Kumar Chugh)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: HISAR
Date : 05th July 2021

said Rules. The with the said pr amount together account herein section (8) of se

- | Sl. No. | Name & |
|---------|--|
| 1 | Nirmala BH W/o Vishnu C/o Vrijesh K Vishnu Singh S/o Brijabha C/o Vrijesh K |
| 2 | Mr. Rajeev H S/o Shyam S R/o H No. Firozabad U Also at: C/ Bazar Near U.P.205135 Mrs. Aarti V W/o Rajeev R/o H No. Firozabad U |
| 3 | Mr. Satyave R/o House N Also at: R/o No. 18 - B/7 Nagar Taj Ge Also at: M/s Nagaragra U Mr. Jagan S R/o House N |
| 4 | Mr. Satyave R/o House N Also at: M Shaheed Na Rachna Sing W/o Satyave R/o House N |
| 5 | Mr. Shishu P R/o H.No.99 Shamshabad Also at : Shamshabad Mrs. Shweta W/o Sh. Shishu R/o H.No.99 Shamshabad |
| 6 | Mrs. Suman W/o Sh. Ram R/o B-233, Tr Mr. Dinesh K S/o Sh. Uday R/o B-233, Tr |
| 7 | Mr. Joginder S/o Shree Dh R/o 38 Indrap Also at :- Wo Mathura Janc Mr. Sonu Sha S/o Shree Jo R/o 38 Indrap Also at: New |
| 8 | Mr. Wasim K S/o Sh. Iftkha R/o H. No-28, Mr. Wasif Kh S/o Sh. Iftkha R/o H. No-28, Also at: R/o Heenki Mand |

Date : 06.07.2021

ral Circulars issued by 21 dated January 13, with General Circular 2020 dated 08th April, collectively referred to as the Board of India vide Circular No. SEBI/HO/

porate Affairs (MCA), at General Meeting for (VC) or other including Board's report, (re-write) and Notices of d with the Company or Circular No. SEBI/HO/ tended the relaxation Annual Reports to the long with all Annexures bsite of the company set in No hard copies ort, Auditor's report or es of Annual General

ail addresses with the muncations promptly records will help us to gging times.

their email addresses y following the below ate No., PAN, Mobile adhar/valid Passport/

the Company in Demat ay temporarily register Agent M/s Link Intime .co.in/emailreg/email herein. In case of any dia Private Limited at .co.in>. It is clarified details in your Demat Depository Participant

Type Company in Physical Bank Account details are Transfer Agent M/ https://linkintime.co.in/ as guided therein. ink Intime India Private ask@linkintime.co.in>

et updated their bank dit of dividend amount, ank account details in r and Share Transfer

Company are requested

in Limited, Singh Tomar, Secretary, Main Mathura Road, PC Chowk, d - 121003 (Haryana) 129-2275691-94, 12275695 @frickmail.com

of Board of Directors FRICK INDIA LIMITED Sd/- Amit Singh Tomar Company Secretary Membership No. A46813

Bank Name

सुरंग निर्माण से सुरक्षित हुईं देश की सरहदें: नड्डा

कहा, लाहौल स्पीति के लिए साबित हुईं वरदान

कुल्लू, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

‘अटल सुरंग का निर्माण होने से देश की सरहदें सुरक्षित हुई हैं।’ यह कहना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। सोमवार को सुरंग निहारने के बाद यहां के साउथ पोर्टल में पत्रकारों से बातचीत में नड्डा ने इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया हुआ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग निर्माण कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया है।

उन्होंने कहा कि ‘अटल सुरंग देश की सुरक्षा में मजबूती का काम कर रही है। अटल जी का सपना था कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसी सुरंग बने, जो अब पूरा हो गया है।’ उन्होंने कहा कि



यूपीए सरकार ने सुरंग के काम को लंबा किया लेकिन मोदी की सरकार बनते ही तेजी से इस

काम को पूरा किया गया। यह सुरंग लाहौल स्पीति के लिए वरदान साबित हुई है।

नड्डा ने कहा कि सुरंग बनने से मनाली और लाहौल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। हर रोज छः से आठ हजार वाहन यहां से गुजर रहे हैं। इससे पहले नड्डा ने सुरंग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उनके साथ रहे। बीआरओ के चीफ इंजीनियर वीके सिंह ने सुरंग की सभी खूबियों के बारे में नड्डा को अवगत कराया।

नड्डा ने विजिटर बुक पर भी हस्ताक्षर किए तथा बीआरओ के कार्य को सराहा। इसके बाद नड्डा सुरंग के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचे। जहां लाहौली लोगों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री मार्कण्डेय के नेतृत्व में नड्डा का पारंपरिक स्वागत किया। इससे पहले नड्डा, मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर से मनाली के सासे हेलीपैड पहुंचे। सासे पहुंचने पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सासे में मनाली मण्डल और नगर परिषद मनाली की ओर से भी स्वागत किया गया।

अभी हमारे समक्ष आंगी कई चुनौतियां: जय राम

कहा, लोस उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाएं मंडी के पदाधिकारी

कुल्लू, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

‘अभी हमारे सामने कई चुनौतियां आंगी, वर्ष 2022 में हम एक बार फिर उभर कर आएं।’ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू के देवसदन में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव नजदीक है इसलिए सभी लोग तैयारियों में जुट जाओ।

जय राम ने नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि ‘नड्डा हमारे बीच में हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल में मेहनत करते देखा है और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वह आज देश के सबसे बड़ी

राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।’ जय राम ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘2022 भाजपा का हो इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भी हमले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में बेहतर प्रदर्शन किया है।’

जय राम ने कहा कि आने वाले तीन उपचुनावों में हम पूरी ताकत लगाएंगे और तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन बेहतर तालमेल है। तीन साल में सरकार व संगठन द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया इस दौरान कोविड-19 की चुनौतियां भी हमारे सामने थी फिर भी हमने चुनौतियों का सामना किया उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त तक पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा। इससे गांव गांव में योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

शिक्षकों के खिलाफ अपनी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगे महेंद्र: राठौर

कहा, एक मंत्री ने शिक्षकों का नहीं, सारे समाज का किया अपमान

शिमला, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से शिक्षकों के खिलाफ उनकी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री ने शिक्षकों का ही नहीं अपितु सारे समाज का अपमान किया है। उनके बयान से शिक्षकों के प्रति छात्रों में भी एक गलत और उनका अपमानजनक संदेश गया है जो सहन नहीं किया जा सकता।

राजधानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौर ने कोरोना काल में शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। राठौर ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाते हुए ऑनलाइन कक्षाएं लेकर बच्चों को पढ़ाया है ऐसे में मंत्री के बयान ने उनके मनोबल पर विपरीत असर डाला है। उनका बयान पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना और उनकी ओड़ी मानसिकता का परिचायक है।

राठौर ने कहा है कि महेंद्र सिंह हमेशा ही सुर्खियों में रहने के लिये अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों व आम लोगों को डराना धमकाना उनकी आदत है। पहले उन्होंने मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की। चुने हुए विधायक का इस प्रकार का आचरण व व्यवहार बहुत ही निन्दनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से इस बारे में कड़ा संज्ञान लेने और अपने इन नेताओं की अपनी हद में रखने की सलाह देते हुए कहा है कि कांग्रेस भाजपा नेताओं के इस आचरण की भर्त्सना करती है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने

रफाल पर जेपीसी जांच की मांग

राठौर ने केंद्र सरकार द्वारा रफाल खरीद घोटाले पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए फ्रांस सरकार की ओर से इस मामले की न्यायिक जांच शुरू करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रफाल सौदे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जांच के बाद अब सब सामने आएगा। राठौर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं ने रफाल सौदे की जेपीसी मांग की थी, पर सरकार ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अब फ्रांस सरकार की ओर से शुरू की गई जांच के बाद अब इसमें हुए भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुलेगी और इस भ्रष्टाचार में शामिल भाजपा नेताओं की पूरी पोल खुलेगी।

‘भाजपा नेताओं का हाथ’

राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ व समझौता किया है। उन्होंने कहा कि रफाल सौदे में भाजपा नेताओं का लेनदेन में हाथ है। यही वजह रही कि रफाल की देखरेख व रखरखाव का पूरा काम अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को दिया गया है जिसका इस क्षेत्र में कोई भी अनुभव नहीं है।

मुख्यमंत्री के उस बयान में भी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के विखराव की बात कही है पर प्रतिकार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की नहीं अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए।

वहीं, कांग्रेस महासचिव एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी आइपीएच मंत्री की शिक्षकों के खिलाफ की गई सार्वजनिक टिप्पणी को कड़ी आलोचना करते हुए उनसे शिक्षकों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। **बिलासपुर:** जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान ने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि विरहमत मंत्री शायद यह भूल गए हैं कि शिक्षक हर जीवन का आधार होते हैं और उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना उनको यह कहना शोभा नहीं देता।

हाई कोर्ट ने 10वीं की मेरिट सूची जारी करने को लेकर लगाई पाबंदी

शिमला, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

प्रदेश हाई कोर्ट ने दसवीं के परिणाम को घोषित करने को हरी झंडी दे दी है लेकिन मेरिट सूची जारी करने को लेकर पाबंदी लगा दी है। अदालत से हरी झंडी को मिलने के बाद प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने दसवीं का परिणाम घोषित कर दिया। सुजानपुर टीहरा के एक छात्र की ओर से दायर याचिका सुनवाई के दौरान प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मल्लिक और ज्योत्सना रेवाल उआ की खंडपीठ ने दसवीं की परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इस छात्र ने अपनी याचिका में

कहा था कि कोविड की वजह से वह पेपर नहीं दे सका था। अगर वह पेपर दे पाता तो मेरिट सूची में आ जाता। इस पर शिक्षा बोर्ड की ओर से कहा गया कि बोर्ड ने कोविड की वजह से जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे व जो परीक्षा देना चाहते थे, उन्हें बोर्ड ने परीक्षा देने का मौका देना था लेकिन कोविड का संकट बढ़ गया और बोर्ड ऐसा नहीं कर पाया। बोर्ड ऐसे तमाम छात्रों की परीक्षा लेने को तैयार है जो परीक्षा देना चाहते हैं।

इस पर खंडपीठ ने बोर्ड को आदेश दिए कि वह परिणाम घोषित कर दे लेकिन मेरिट सूची अभी जारी नहीं करे। खंडपीठ ने कहा कि कोविड की वजह

से परीक्षा न देने वाले छात्रों को से पेपर करवाए जाए और उसके बाद मेरिट सूची जारी की जाए। हालांकि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई निर्धारित कर दी है।

याद रहे कि प्रदेश सरकार ने दसवीं के सभी छात्रों को पास करने का फैसला लिया था व मेरिट निकालने का एक फार्मूला भी निकाला था। लेकिन बहुत से छात्र इससे सहमत नहीं थे। इन छात्रों का कहना था कि इस फार्मूले के आधार पर उनकी मेरिट पर असर पड़ेगा। वह पेपर देने का तैयार है। महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि अदालत ने शिक्षा बोर्ड को मेरिट सूची जारी न करने के आदेश दिए हैं।

काजा में खेल गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

कुल्लू, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

काजा उपमंडल के तहत खेल गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सचिव डॉ. एसएस गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने संबन्धित अधिकारियों को विभागों को तीव्र गति से खेल विभाग में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के बारे में निर्देश दिए गए।

डॉ. गुलेरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की वजतीय घोषणा के तहत हाइ एल्टीटयूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर 16.38 करोड़ रुपए में बनेगा। इसके लिए अभी 1.3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस केंद्र में हॉस्टल की सुविधा भी होगी जिसमें स्नो बोर्ड, आइस क्लाइम्बिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि के खिलाड़ी

ठहर सकेंगे। यहां पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तरीय की खेल प्रतियोगिताएं करवाने पर बल दिया जाएगा। सेंटर में टेनिस कोर्ट, बॉलीबाल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, कैटीन की सुविधा भी होगी।

डॉ.गुलेरिया ने कहा कि विश्व स्तरीय इंडोर आइस हॉकी रिक 30 करोड़ रुपए में बनना प्रस्तावित है जबकि इसके लिए एक करोड़ रुपए बीएडपी के तहत और 1.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अनुच्छेद 275 के तहत प्रदेश सरकार को भेजा गया है। यह रिक हिमालयन क्षेत्रों में बने रिक से सबसे अलग और अनोखा होगा। इस बार काजा में राष्ट्रीय स्तरीय आइस हॉकी प्रतियोगिता काजा में होने जा रही है। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत सारी व्यवस्थाएं तैयार की जाएं। इसके साथ ही केबिनेट मंत्री ने लोसर और सगनम में आइस हॉकी रिक बनने की घोषणा की है।

अंतिम चरण में क्लस्टर विवि भवन निर्माण का कार्य

मंडी, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी के भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। इसे अगले दो महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। ताकि सितंबर तक मुख्यमंत्री जय राम से भवन का विधिवत लोकार्पण करवाया जा सके। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एचएसएस अधिकारी राजिव कुमार ने एक संयुक्त दल के साथ विवि भवन के निर्माण कार्य के निरीक्षण के उपरांत यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भवन में क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, बहु उद्देशीय सभागार तथा प्रशासनिक खंड का निर्माण किया जा रहा है।

निंदनीय है आइपीएच मंत्री का बयान

कुल्लू, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

कुल्लू दौरे के दौरान जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा शिक्षकों के लिए अपमानजनक बयान पर पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री का वीडियो वायरल होते ही इसके विरोध में इंटरनेट मीडिया में खूब हल्ला मचा है। एक ओर जहां शिक्षकों ने मंत्री के बयान की निंदा की है वहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन भी शिक्षकों के पक्ष में उतर रहे हैं।

राजकीय सीएंडवी शिक्षक संघ जिला कुल्लू ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने कहा जलशक्ति मंत्री ने मंच पर जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद थे, के सामने शिक्षकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने शिक्षकों द्वारा कोरोनाकाल में किये गये अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें फ्रंटलाईन वर्कर घोषित किया

एक दिन में 158 नए संक्रमित, एक की गई जान

शिमला, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से आज, सोमवार को एक मौत हुई है और संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3,468 तक पहुंच गया है। इसके अलावा आज प्रदेश में 158 नए मामले सामने आए हैं और 165 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा दो लाख दो हजार 800 तक पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1 लाख 97 हजार 943 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घट कर 1,357 तक पहुंच गया है।

स्वस्थ विभाग के मुताबिक बीती रात से लेकर अब तक प्रदेश के जिला मंडी में कोरोना संक्रमित एक मरीज ने दम तोड़ा है। इस 39 साल के मरीज को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की शिकायत थी। बाद में इसे कोविड हो गया व दिल की गति रुकने की वजह से इसकी मौत

पिछले एक सप्ताह में पॉजीटिविटी दर 1.14 फीसद दर्ज

शिमला: प्रदेश में 28 जून से 4 जुलाई तक के सप्ताह के दौरान कोविड के 977 पॉजीटिव मामले और पॉजीटिविटी दर 1.14 फीसद दर्ज की गई। यह जानकारी प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता ने आज, सोमवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि इसी अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में पॉजीटिविटी दर 0.82 फीसद रही। चंबा पॉजीटिविटी दर 2.05, हमीरपुर में 0.65, कांगड़ा में 1.22, किन्नौर में 2.34 फीसद रही। कुल्लू में पॉजीटिविटी दर 1.10, लाहौल-स्पीति में 2 फीसद, मंडी में 3.19, शिमला में 1.60, सिरमोर में 0.42, सोलन में 0.34 और जिला ऊना में पॉजीटिविटी दर 0.81 फीसद दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान प्रदेश में केवल 10 कोरोना मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई है।

हो गई। मंडी में कोरोना संक्रमण से अब तक 391 मौतें हो चुकी हैं।

खबर कोना मुख्यमंत्री आज मंडी में

मंडी, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर 6 जुलाई को मंडी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्राप्ति की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त मंडी संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री 6 जुलाई को प्रातः 11 बजे मंडी पहुंचेंगे। वे परिधि गृह मंडी में जल शक्ति तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला में किए जा रहे मुख्य विकासक कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक लेंगे। उनका रात्रि ठहराव परिधि गृह में ही होगा। मुख्यमंत्री का 7 जुलाई को प्रातः 9.15 बजे शिमला के लिए प्रस्थान का कार्यक्रम है।

जुर्माना वसूला

धर्मशाला, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

प्रदेश के आबकारी महकमे ने ऊना जिले के पंडोगा नाके में बीती रात को बिना कामजात के 7 लाख की चांदी ले जाने वालों से 42 हजार का जुर्माना वसूला है। जानकारी के मुताबिक निरीक्षक प्रदीप ठाकुर ने पंजाब के होशियारपुर शहर से एक कार की तलाशी ली तो चालक की सीट के नीचे से मिले एक बड़े पैकेट में बिना बिल के दस किलो चांदी के टुकड़े बरामद किए।

ढाई किलो चरस समेत दो गिरफ्तार

धर्मशाला, 5 जुलाई (जनसत्ता)।

चंबा पुलिस ने सोमवार को चुराह घाटी में गश्त के दौरान जसोरगढ़ के जीरो पॉइंट दो व्यक्तियों को ढाई किलो चरस के साथ काबू किया है। फरफड़े गए चरस तरकरों में घाटी के कंडोग गांव का नरेण सिंह और दिडवास का रहने वाला कर्म सिंह शामिल है। दोनों आरोपियों के खिलाफ तीसा थाने में पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 व 29 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT						
Procurement Notice						
INVITATION FOR BIDS (IFB)						
The Executive Engineer, Shimla, Division No. 1, HPPWD, Shimla-3, H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.						
Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Starting date for Downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid	Time Allowed
1.	Annual Maintenance of kotliPiran road km. 0/00 to 28/020 (SH; Providing renewal coat of 300mm thick bituminous concrete at km. 12/00 to 15/00)(Under FMSGSY-Incentive 2020-2021).	5623009/-	14-07-2021	110000/-	22-07-2021	30 days
2.	C/O Dhamechi to Bhrad road km. 0/00 to 2/00 (SH; M/T in left out portion)	975700/-	14-07-2021	20000/-	22-07-2021	60 days
The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptender.gov.in						
The executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason. 21/7/21						

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य: निगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार-125005 (हरियाणा)	फोन: 01662-220067, 220376, 220738, फैक्स: 01662-220265
ई-मेल: info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com, वेब: www.hisarmetal.com	सीआईएन: L74899HR1990PLC030937
शेयरधारकों के लिए सूचना	
निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में कंपनी के इतिवृत्ति शेयरों का अंतरण	

निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016; समय-समय पर यथासंशोधित ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में उन सभी शेयरों का अंतरण करना अनिवार्य है जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि से लागाया का न्युगतान नहीं लिया गया है या न्युगतान का दावा नहीं किया गया है।

कथित नियमों के अनुपालन में, कंपनी उन संबंधित शेयरधारकों से व्यतिरिक्त रूप से पत्राचार कर रही है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कंपनी के अपनी वेबसाइट www.hisarmetal.com पर ऐसे सभी शेयरधारकों के निवरण अपलोड किये जा रहे हैं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी के निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नियत तिथि अर्थात 24 अक्टूबर, 2021 से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित शेयरों चाहे वह मौखिक प्रारूप में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित कर देगी।

मौखिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा वास्तविक मूल शेयर प्रमाणपत्र(सी) के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(सी) को जारी करेगी और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(सी) जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(सी) जो उनके नाम पंजीकृत हैं, स्वतः ही निरस्त एवं गैर-विधिवत हो जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गए शेयरों पर अपलोड किये गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(सी) के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाए। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कंफिर्मेट कार्य के माध्यम से उन डिमांडिटरों को सूचित करेगी जहां संबंधित शेयरधारकों का अपना खाता है।

संबन्धित शेयरधारकों से एनडद्वारा हमारे आरटीए या कंपनी के पास आवेदन ककके वितीय वर्ष 2013-14 के दौरान घोषित लाभार्थ और उसके बाद और जो अदावाकृत व अप्रवत रस्ता है का दावा करने के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये जाएंगे।

शेयरधारकों कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित की गई अदावाकृत लाभार्थ राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये गए शेयरों और ऐसे शेयरों पर उपाधिर्जित सभी लाभ, यदि कोई हो, को वापिस पाने के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कृपया कंपनी को vchugh@hisarmetal.com पर लिखें अथवा आरटीए स्क्रीनलाइन्ड फाइनेशियल सर्विसेज प्रा. लि., डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-64732681-88, ई-मेल: admin@skylinerata.com से सम्पर्क करें।

कृते हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इस्सरा / -
स्थान : हिसार	(विशेष कुंभार पुत्र)
दिनांक: 05 जुलाई 2021	कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी